कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक– 04.08.2026

🔷 थाना बलुआ पुलिस द्वारा मन्दिर में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार

🔷 जिनके कब्जे से 06 पीतल का घंटा, 2 पीतल का लोटा, 01 तांबे का लोटा, 03 पीतल का आरती करने वाला दिया व चोरी के माल की ब्रिकी से सम्बन्धित कुल 2900 रूपया बरामद

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष बलुआ अरूण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा दिनांक 04.08.2026 को चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर अमरीपुर नहर पुलिया से अभियुक्तगण 1.आकाश यादव पुत्र शिव बदन यादव 22 वर्ष निवासी सेवढी मढई थाना बलुआ जिला चंदौली 2. सोनू कुमार पुत्र बंगाराम उम्र 26 वर्ष निवासी सेवढी मढई थाना बलुआ जिला चंदौली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का 06 पीतल का घंटा, 2 पीतल का लोटा, 01 तांबे का लोटा, 03 पीतल का आरती करने वाला दिया व चोरी के माल की ब्रिकी से सम्बन्धित कुल 2900 रूपया बरामद किया गया। उपरोक्त माल के चोरी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 226/26 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0- 223/26 धारा 303(2), मु0अ0सं0- 225/26 धारा 303(2) बीएनएस व थाना क्षेत्र शहाबगंज से सम्बन्धित है।

पूछताछ अभियुक्तगण:-

अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से पूछताछ में बताया कि हम लोग मंदिरों में घूम घूमकर एक साथ घंटा, पूजा का सामान, मुकुट आदि चुराते हैं। दिनांक 01.08.2026 समय 13:00 बजे दिन में हनुमान मंदिर फूलपुर थाना बलुआ चंदौली से हनुमान जी के मन्दिर में प्रसाद की पीतल की कटोरी 11 पीस और आरती करने की दो पीस पीतल की पंचमुखी दीपक और दो लोटा ताँबा का और दो लोटिया फुल का और दो पीस पीतल की घंटी और दस पीस घंटा व अन्य सामान चोरी किये थे जिसमें से दो पीतल का घंटा, एक तांबा को लोटा, पीतल का दो लोटा, तीन पीतल का दिया, तीन पीतल का दीपक बचा हुआ है। शेष हम लोगों ने शेष सामान को राह चलते व्यक्ति को बेच दिये हैं उससे मिला पैसा खर्च कर दिये हैं तथा दिनांक 02.08.2026 को दिन में 12:00 बजे चांदी का मुकुट रामशाला लक्ष्मणगढ़ मंदिर बलुआ चन्दौली से चुराए थे। जिसे राह चलते व्यक्ति को बेचकर पैसा ले लिए थे मुझे याद नहीं है कितना

पैसा लिए थे उसमें से कुछ पैसा खर्च हो गया जिसमें से पाँच सौ रूपये आकाश यादव के पास व सोनू कुमार के पास चार सौ रूपये है। जो तलाश में मिला है। दिनांक 31.07.2026 को लगभग 2 बजे आदर्श विद्या मन्दिर इण्टर कालेज महगाँव पपौरा चन्दौली में दुर्गा माता मन्दिर से दो घण्टा, ग्राम महगाँव में ही शंकर जी मन्दिर से दिनांक 30.07.2026 को समय करीब 02 बजे दिन में एक घण्टा चोरी किये थे जो इसी में है। शेष बचे सामान को हम लोग बेचने जा रहे थे तो आप लोगों ने पकड़ लिया है ,अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने अपराध की बार-2 माफी मांग रहे हैं पकड़े गए व्यक्तियों से आसपास और किए गए चोरी के संबंध में पूछने पर बता रहे हैं कि साहब हम लोगों द्वारा मिलकर इससे पूर्वी थाना साहबगंज क्षेत्र में ग्राम बड़ौरा व सेमरा में मंदिर में घंटा चुराया था जिसको हम लोगों ने राह चलते कबाड़ी को बेच दिया था कबाडी का नाम पता हमको नहीं मालूम उस चोरी से हमें लगभग ₹9000 मिले थे जिसमें से अभी एक एक हजार रूपये दोनों के पास है जो तलाशी मे मिला है। इस प्रकार अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी गलती की बार-बार माफी मांग रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.आकाश यादव पुत्र शिव बदन यादव 22 वर्ष निवासी सेवढी मढई थाना बलुआ जिला चंदौली

2. सोनू कुमार पुत्र बंगाराम उम्र 26 वर्ष निवासी सेवढी मढई थाना बलुआ जिला चंदौली

विवरण बरामदगी-

1.06 पीतल का घंटा,

2. 02 पीतल का लोटा,

3. 01 तांबे का लोटा,

4. 03 पीतल का आरती करने वाला दिया

5.चोरी के माल की ब्रिकी से सम्बन्धित कुल 2900 रूपया

घटना का विवरण-

घटनास्थलः- अमरीपुर नहर पुलिया वहद ग्राम अमरीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश-

1. मु0अ0सं0- 07/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0- 226/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3. मु0अ0सं0- 223/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4. मु0अ0सं0- 225/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू-</u>

1. मु0अ0सं0- 226/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2. मु0अ0सं0- 223/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3. मु0अ0सं0- 225/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष अरूण प्रताप सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 सुजीत कुमार सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.का0 अनुज कुमार वर्मा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.का0 सुग्रीव चौरसिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली